**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 18**

**दिनांक 03.02.2021/ 14 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए**

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों में वृद्धि**

**18 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) की 'क्राइम इन इंडिया-2019' नामक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों में क्रमश: 7.3 प्रतिशत और 26.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है;**

**(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(ग) देश भर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध बढ़ते अत्याचार की समस्या से निपटने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**"अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 03.02.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *18 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क): जी, हां।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति अपराध की जांच एवं अभियोजन समेत नागरिकों की जान-माल

की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

तथापि, भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पीओए अधिनियम)को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे वर्ष 2015 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराध, विस्तृत अनुमान क्षेत्र, सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मामलों को तेज़ी से निपटाने हेतु अपराधों का विशेष रूप से पीओए अधिनियम के तहत ट्रायल करने के लिए पृथक विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और पृथक विशेष लोक अभियोजकों का निर्धारण करना, विशेष न्यायालयों एवं पृथक विशेष न्यायालयों को अपराध का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना और जहाँ तक संभव हो, चार्जशीट दायर होने की तिथि से दो माह के भीतर विचारण (ट्रायल) पूरा करना निहित है तथा साथ हीपीड़ितों एवं गवाहों के अधिकारों को प्रमाणित करना और रोकथाम के उपायों को सुदृढ़ करना आदि शामिल है। इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 को “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 की संख्या 27)” के द्वारा संशोधित किया गया और इसे दिनांक 20.08.2018 से लागू किया गया हैतथा अब एफआईआर के पंजीकरण से पूर्व प्रारंभिक जांच करना अथवा आरोपी की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

भारत सरकार ने पीओए अधिनियम और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं।

*****